बीस रुपये TWENTY RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

(16)

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. /टीकमगढ़/भू.रा./2017 I/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2018/0057

श्री बृजेन्द्र सिंह घावड़ द्वारा आज दि० 02/01/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 12-1-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 2-1-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

लक्ष्मी देवी पत्नी वेदप्रकाश साहू निवासी– सिविल लाईन झाँसी हाल निवासी– ग्राम वनगायहार तहसील ओरछा जिला– टीकमगढ़ (म.प्र.) ....आवेदक

बनाम

1. इन्द्रपाल पुत्र श्री विलायती दास मित्तल निवासी– दिल्ली, हाल निवास– ग्राम वनगायहार तहसील ओरछा जिला– टीकमगढ़ (म.प्र.)
2. ओमप्रकाश पुत्र लखनलाल अग्रवाल निवासी– झाँसी (उ.प्र.)
3. रामेश्वर पुत्र शिवप्रसाद काछी
4. दिली पुत्र गोवर्धनदास
5. अनूप पुत्र चन्द्रप्रकाश
6. संजय कुमार पुत्र अशोक कुमार साहू
7. विनय कुमार ना.बा. महेशनारायण गुप्ता बली संरक्षक माँ शीलादेवी पत्नी महेशनारायण साहू
8. वेदप्रकाश पुत्र भगवानदास साहू
9. मु.स. संध्या वेवा अशोक साहू
10. शीलादेवी पत्नी महेशनारायण गुप्ता समस्त निवासीगण– झाँसी (उ.प्र.)
11. अब्दुल हमीद खाँ पुत्र चाँद खाँ निवासी– खेलार झाँसी (उ.प्र.) ....अनावेदकगण

बृजेन्द्र सिंह घावड़
02/01/18

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 14.11.2017 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर म.प्र. के प्र.क्र. 314 अ–3/2015–16 से असंतुष्ट होकर।

माननीय न्यायालय,

(3)

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है –

XXIX(a)-BR(H)-11

-2-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2018/0057

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03/05/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया। प्रकरण को देखन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार ओरछा के आदेश दिनांक 13.08.2013 के विरुद्ध पृथक-पृथक अपीलें अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जो अवधि वाहय होने से दिनांक 30.10.2016 द्वारा निरस्त की गईं, जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने ने की है। विलंब के संबंध में अवधि विधान की धारा-5 के अनुसार दिन-प्रतिदिन का स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक होता है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष भी ऐसे कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जिस कारण निगरानी ग्राहय की जा सके। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राहय योग्य न होने से अग्राहय की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	